प्रेस नोट दिनाँक-13.09.2021

(1). आज दिनाँक 13.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत मो0नं0 8810747614 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते है, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पडेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

(2). आज दिनाँक-13.09.2021 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, प्रयागराज के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा अपनी मौजूदगी में ट्राफिक चौराहा कर्वी में वाहन चेकिंग करायी गयी । चेकिंग के दौरान 02/04 पहिया वाहनों में बिना हेलमेट/सीट बेल्ट/03 सवारी, काली फिल्म, संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की गयी । महोदय द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का ई-चालान कराया गया । महोदय द्वारा वाहन चालकों को हेलमेट/सीट बेल्ट लगाने हेतु जागरूक किया एवं यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी ।

(3).आज दिनाँक-13.09.2021 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, प्रयागराज के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल निर्देशन में जनपद के समस्त थाना/चौकी क्षेत्र में 9:30 बजे से लेकर 11:00 बजे तक संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया । अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय द्वारा शिवरामपुर तिराहा एवं रसिन बॉर्ड भरतकूप में, क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा ट्राफिक चौराहा कर्वी में, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम द्वारा राजापुर तिराहा सरैया एवं शिवपुर तिराहा मऊ में एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री एस0पी0 सोनकर द्वारा बोड़ी पोखरी तिराहा रैपुरा में अपने नेतृत्व में थाना/चौकी पुलिस बल के साथ संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग करायी गयी । समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा प्रमुख स्थानों में बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की गयी । चेकिंग के दौरान 02/04 पहिया वाहनों में बिना हेलमेट/सीट बेल्ट/03 सवारी, काली फिल्म, संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की गयी । काली फिल्म लगे वाहनों की काली फिल्म निकलवायी गयी । बिना हेलमेट/सीट बेल्ट/03 सवारी, ओवर स्पीड, काली फिल्म एवं यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों का ई-चालान किया गया । चेकिंग के दौरान वाहन चालकों से हेलमेट/सीट लगाने एवं यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथ राम थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त मनोज केवट पुत्र मेवालाल निवासी कनकौटा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 178/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

05 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्रनाथराम थाना राजापुर
2. आरक्षी ब्रजभान

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के मार्गदर्शन में श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा बेड़ीपुलिया अमानपुर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान से की गयी चोरी की घटना का खुलाशा करते हुए अभियुक्त संतोष कहार पुत्र रामबाबू निवासी भैरोपागा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

उल्लेखनीय हैं कि दिनाँक-09.09.2021 को परवेज खान पुत्र हनीफ खान निवासी सीतापुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि दिनाँख-07.09.2021 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा उसकी दुकान का ताला तोड़कर स्पेयर्स पाट्स का सामान चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 342/2021 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चौकी प्रभारी सीतापुर को घटना के शीघ्र खुलासे एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे। चौकी प्रभारी सीतापुर द्वारा अपनी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भैरोपागा रोड से अभियुक्त को 10 जोड़ा बेरेट लोहा, 06 अदद फ्रंट लाइट, 06 अदद स्पीकर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर मंदाकिनी नदी किनारे पीपल के पेड़ के पास झाड़ियो में 02 अदद बोरियो में 20 जोड़ा बेरेट लोहा बरामद किया गया। घटना का खुलाशा करते हुए अभियुक्त संतोष कहार उपरोक्त को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। माल बरामदगी के सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 342/2021 में धारा 457/411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

बरामदगीः-

1. 30 जोड़ा बेरेट लोहा
2. 06 अदद फ्रंट लाइट
3. 06 अदद स्पीकर

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त संतोष कहार पुत्र रामबाबू निवासी भैरोपागा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री रामवीर सिंह
2. आरक्षी प्रकाश मिश्रा
3. आरक्षी शुभम शर्मा
4. आरक्षी देवेन्द्र कुमार
5. आरक्षी चालक बृजेश सिंह

(6). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाए जा रहे अभियान "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न

सार्वजनिक स्थल, विद्यालय एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-3" अभियान के तहत आज दिनांक 13.09.2021 को श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में जनपद में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । जिसमें महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति फेज-3" के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजार, कॉलेज, कोचिंग संस्थान व अन्य सार्वजनिक स्थलों को असामाजिक तत्वो से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओ को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा के बारे में जानकारीयाँ दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानो में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओ की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हैल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया।

इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनो से सार्वजनिक स्थलो यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है